...उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

...पत्र संख्या: 06/2017

...कुमारी पत्नि स्व. भवानीसिंह वगैराह बनाम सरकार

...3 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं राजकीय पैराकार ...स्थित। पत्रावली पर बहस वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार ... गई।. वकील प्रार्थीगण की दलील है कि ग्राम देवरी तहसील ...गानेर में खसरा नम्बर 159 रकबा 8 बीधा 5 विस्वा किस्म बारानी ...य. खसरा नम्बर 162/412 रकबा 15 विस्वा किस्म बन्जर, ...सरा नम्बर 161 किस्म बारानी तृतीय रकबा 3 बीधा3 विस्वा कुल ...बा 12 विस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भवानीसिंह पुत्र ...त्तानसिंह वगैराह राजपूत जो कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी है, ...। राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 में भी इसी प्रकार का ...न्द्राज है, उक्त आराजी वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज ... किन्तु ग्राम के बन्दोबस्त के दौरान वादग्रस्त भूमि की किस्म ...बारानी बन्जर से बदलकर खातली दोयम दर्ज कर दी गई, जबकि ...भू–प्रबन्ध अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अर्थात भूमि की किस्म बदलने व रकबा कम व ज्यादा करने व हिस्सा कम व ज्यादा करने का अधिकार नहीं है। बंदोबस्त के दौरान भू–प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा भूमि की किस्म बारानी तृतीय व बंजर को बदलकर खातली दोयम कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार की गलती लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है, जिसे अन्तर्गत धारा 136 में सुधार करने के लिये न्यायालय बतौर भू प्रबन्ध अधिकारी सक्षम है और ऐसी गलती को किसी भी समय सुधारा जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 201, 202, 204, 205, 206, 241/568 की खातली दोयम की किस्म को परिवर्तित कर पूर्वानुसार बारानी तृतीय व बंजर अंकित किये जाने के आदेश फर्मावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बरान की किस्म भूमि का इन्द्राज जो दर्ज है वह मुताबिक रिकार्ड है। उक्त खसरान की किस्म मुताबिक रिकार्ड सही दर्ज है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन धारा 136 में अब किया जाना सम्भव नही है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की रिलीफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्राप्त नहीं हो सकती है।

हमने विद्वान उभय पक्ष की दलील पर गौर किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त जवाब पर गौर किया गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 204, 205, 206, 241/568 की किस्म खातली दोयम ही है, जो प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड ...

राजकुमारी पत्नी स्वामी सिंह बनाम राज. सरकार

प्रा.पत्र स. 6/2017

अधिनियम की परिधि में नहीं आते है। प्रार्थी को यदि किसी प्रकार की रिलीफ चाहिये तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26/6/18 को सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

न्याया...

प्रार्थना-पत्र ...

1. राजकु...
2. दिग्वि...
3. सूर्यवि...
4. अभि...
5. रुक...
समस...
पदम...
6. श्रीम...
7. प्रदुम...
8. कु.
9. कु.
समस...
पद...
हाउ...